प्रश्न सं. [क्र. 1028]

परिशिष्ट–''अ''

अतारांकित प्रश्न क्रमांक– 1028

द्वारा– माननीय विधायक श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर।

(प्रश्नांश ''क'' का उत्तर)

(क)– थाना पलेरा के अपराध कमांक 455/21 धारा 302,201 भादवि थाने के ही मर्ग कमांक 52/21 धारा 174 जा.फौ. की जांच के आधार पर दर्ज किया गया था। मर्ग में सूचनाकर्ता (मृतक का पिता) ने 03 व्यक्तियों पर शंका जाहिर की थी। इस कारण से अपराध कमांक 455/21 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में 03 व्यक्तियों को संदेही के रूप में लिखा गया था। अपराध कमांक 455/21 में संदेहियों के विरूद्ध अभी तक की विवेचना में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये। इस प्रकार आरोपी अज्ञात हैं, जिनका पता लगाने में ठोस एवं सूक्ष्म रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार प्रकरण में कुछ व्यक्तियों के संदेही होने एवं पुलिस द्वारा अभियुक्तों को अज्ञात को बताने में कोई भ्रम अथवा विरोधाभास नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, दल्लभ भवन, भोपाल

17.2.25
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–"ब"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक– 1028

द्वारा– माननीय विधायक श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर।

(प्रश्नांश "ख" का उत्तर)

(ख)– प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भ्रम नहीं है। प्रकरण में भ्रष्टाचार एवं कदाचरण नहीं किया गया है। आरोपियों को ज्ञात करने के लिये प्रकरण में वृहद कार्यवाही की गई है। विवेचना के दौरान 103 साक्षियों के कथन लिये गये, सम्पूर्ण मर्ग जांच की गई, मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, डायटम टेस्ट कराया गया, विसरा की एफएसएल जांच कराई गई, एसआईटी गठित की गई, पीएसटीएन डाटा प्राप्त कर विश्लेषण किया गया, संदेहियों की सीडीआर एवं कैफ भी प्राप्त की गई। घटनास्थल के आस-पास निवासरत लोगों से पूछताछ की गई। तालाब की मछुआ समिति के द्वारा ड्यूटी हेतु लगाये गये समस्त व्यक्तियों से पूछताछ कर कथन लेख किये गये। दो वर्ष तक वृहद विवेचना करने के उपरान्त आरोपी ज्ञात नहीं हो सके। इस कारण से पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रकरण में खात्मा तैयार किया गया था, जो कि विधिसंगत प्रकिया के अन्तर्गत किया गया था। माननीय न्यायालय में खात्मा प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा खात्मा अस्वीकार किया गया, जिसके क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी गठित की जाकर विवेचना की जा रही है। विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में गिफ्तारी के संबंध में निर्णय लिया जाऐगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

17.2.25
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–"स"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक– 1028

द्वारा– माननीय विधायक श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर।

(प्रश्नांश "ग" का उत्तर)

(ग)– आवेदक रामनारायण रावत के द्वारा थाना पलेरा जिला टीकमगढ में लगे समस्त सीसीटीव्ही कैमरे की दिनांक 17.01.2025 समय दोपहर 03:00 बजे से 06:00 बजे तक का फुटेज हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिनांक 21.01.2025 को कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसकी जानकारी लोग सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 03.02.2025 में माध्यम से आवेदक को निम्न सूचना प्रदान की गई "(01.) थाना पलेरा में दिनांक 03.02.2025 को 13 सीसीटीव्ही कैमरा लगे हुये है, जो सभी चालू है। (02) थाना पलेरा की दिनांक 17.01.2025 समय दोपहर 03:00 बजे से 06:00 बजे तक का फुटेज के संबंध में लेख है कि थाना पलेरा में अनेक प्रकार के शासकीय कार्य गोपनीय तरीके से होते है। आरोपियों की गिरफ्तारी आदि एवं थाने में समय-समय पर मुखबिर आदि का आना जाना होता है, जिससे मुखबिर की पहचान उजागर होने से मुखबिर को खतरा उत्पन्न होने की संभावना होती है एवं थाने की गोपनीयता भंग होने की संभावना होती है। जिससे वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ज) के अन्तर्गत प्रदाय करने की बाध्यता नहीं है।"

आवेदक रामनारायण रावत के द्वारा अपने पुत्र की हत्या की जानकारी देने वाले या ठोस सबूत देने वाले को 50000/–रूपये का ईनाम देने संबंधी पत्र दिनांक 21.01.25 को कार्यालय को प्राप्त हुआ। अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सही सूचना प्रदान करने हेतु पूर्व में ही कार्यालयीन आदेश दिनांक 22.03.2023 के माध्यम से 5000/– रूपये की ईनाम की उद्घोषणा की गई एवं पुनः कार्यालय आदेश दिनांक 26.08.2023 को ईनाम राशि में वृद्धि कर 10000/– रूपये की ईनाम उद्घोषणा की गई। अज्ञात आरोपियों को ज्ञात करने एवं उनके विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम के द्वारा आरोपी ज्ञात कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य मिलने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तारी की समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

27.2.25
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner